न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या 133/19 — तारीख दायरा 31.10.2019 — तारीख फैसला 06/01/2020

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. लटूर लाल आत्मज रामकिशन
2. अखेराज आत्मज रामकिशन
3. रामेश्वर आत्मज गोविन्द
4. कुंज बिहारी आत्मज गोविन्द
5. बनवारी आत्मज नन्द किशोर
6. बलराम आत्मज नन्द किशोर
7. गोरां पुत्री नन्द किशोर
8. ममता पुत्र नन्द किशोर
9. भूली बेवा नन्द किशोर जाति कुम्हार निवासीगण रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. राम भरोस पुत्री धन्नी
2. गोमती पुत्री धन्नी
3. मुरली पुत्री धन्नी
4. घीसी पुत्री रामकिशन
5. नेमी चन्द पुत्र मन्नी बाई
6. सीमा पुत्री मन्नी बाई
7. कंचन बेवा गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट वादीगण की ओर से
– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मोराना तहसील दीगोद में पुरानें ख0नं0 393 की 13 बीघा 9 बिस्वा व ख0नं0 394 की 7 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 की 20 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी जो कंवरा के खातें दर्ज थी, कंवरा की मृत्यु के बाद जगन्नाथ व तुलसा पिसरान कंवरा कंवरा के खातें दर्ज हुई। जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उसके 1/2 हिस्से पर उसके वारिसान रामकिशन पुत्र व धन्नी पुत्री व मुस0 नाथी बेवा का नाम दर्ज हुआ तथा 1/2 हिस्से पर तुलस्या पुत्र कंवरिया का नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार जगन्नाथ के तीन ही वारिसान एक पुत्र, एक पुत्री व एक बेवा वारिस थी। इसके अलावा कोई वारिस नहीं है। बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नवीन

सहायक कलक्टर एवं ... दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

ख0नं0 684 रकबा 2.15 है0, ख0नं0 685 रकबा 1.00 है0 कुल किता 2 रकबा 3.15 है0 कायम किये गये। बाद सेटलमेंट प्रतिवादी नं0 9 के कर्मचारियों द्वारा रामकिशन पुत्र, मु0 धन्नी पुत्री, मु0 नाथी बेवा जगन्नाथ के स्थान पर रामकिशन पुत्र, जगन्नाथी, मुस0 धन्नी पुत्री जगन्नाथ व मुस0 नाथी बेवा जगन्नाथ दर्ज कर दिया जो गलत है। जबकि जगन्नाथ के परिवार में कोई जगन्नाथी नहीं है। उक्त जमाबंदी में जगन्नाथ के स्थान पर सहवन से जगन्नाथी दर्ज हो गया है, जो काबिल दुरुस्ती है। खातेदार रामकिशन पुत्र जगन्नाथ की मृत्यु हो जानें के बाद उसके वारिसान गोविन्दलाल, नन्दकिशोर, लटूरलाल, अखेराज पुत्रान घीसी बाई पुत्री व केसर बाई बेवा का नाम इंतकाल नं0 316 से दर्ज हो गया। तत्पश्चात् जमाबंदी सं0 2071–74 में जगन्नाथी, मुस0 धन्नी पुत्री जगन्नाथ व मुस0 नाथी बेवा जगन्नाथ दर्ज रहा। जबकि जगन्नाथी जगन्नाथ की कोई पुत्री नहीं है। इस कारण उक्त जगन्नाथी का नाम डिलीट किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि में जगन्नाथ का 1/2 हिस्सा दर्ज था उसके तीन ही वारिसान है। रामकिशन, धन्नी व नाथी बाई की मृत्यु हो चुकी है। नाथी बाई के वारिस रामकिशन व धन्नी है। उनका उक्त भूमि में 1/4, 1/4 हिस्सा बनता है किन्तु सहवन से रामकिशन के वारिसान का 1/8 हिस्सा व जगन्नाथी, धन्नी व नाथी का 3/8 हिस्सा दर्ज किया है जो गलत है। जगन्नाथी का नाम व नाथी बाई का नाम डिली किये जानें पर रामकिशन के वारिसान वादीगण 1/4 हिस्से के व धन्नी के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 ता 3 अपनें 1/4 हिस्से के खातेदार व मालिक हो गये है। उक्त भूमि पर धन्नी बाई व उसके वारिसान प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा धन्नी ने अपनें जीवनकाल में ही अपना हिस्सा अपनें भ्राता रामकिशन के हक में मौखिक हक त्याग कर दिया था इस कारण रामकिशन 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार हो गये। रामकिशन के पांच वारिस है जिनमें घीसी पुत्री रामकिशन ने भी अपना हिस्सा अपनें चारो भाईयों गोविन्द, नन्दकिशोर, लटूर व अखराज के पक्ष में छोड रखा है तथा घीसी का कभी भी भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। इस कारण चारों का 1/8, 1/8 हिस्सा बना। गोविन्द का उक्त भूमि में 1/8 हिस्सा है उसकी मृत्यु होनें पर उसके वारिस रामेश्वर, कुंज बिहारी, मन्नी व कंचन है। मन्नी की मृत्यु हो गयी उसके वारिस प्रतिवादी नं0 4–5 व प्रतिवादी नं0 6 कंचन नें अपना हक व हिस्सा अपनें भ्राता रामेश्वर व कुंज बिहारी वादी नं0 1 व 2 के पक्ष में छोड दिया है। इस प्रकार उक्त भूमि में वादी नं0 1 व 2 अपनें 1/8, 1/8 हिस्से के वादी नं0 3 व 4 अपनें 1/8 हिस्से के तथा वादी नं0 5 ता 9 अपनें 1/8 हिस्से के खातेदार हो गये तथा इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। धन्नी बाई व घीसी बाई का नाम हटाये जानें व उपरोक्तानुसार

सहायक कलेक्टर एवं
... (कोटा)

Scanned by CamScanner

वादीगण का खातेदार घोषित किये जानें में प्रतिवादीगण नं0 1 ता 7 को कोई आपत्ति नही है। शेष 1/2 हिस्से के बाबत् कोई विवाद नहीं है इस कारण उनके सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 8 के कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में जगन्नाथ के वारिसान में गलत रूप से जगन्नाथी का नाम दर्ज करनें पर तथा दिनांक 20.09.2019 को प्रतिवादी नं0 8 द्वारा जगन्नाथी का नाम हटानें व वादीगण को वादपत्र में दर्ज अनुसार हिस्सा दुरूस्त कर नाम डिलीट करनें से इन्कार करनें पर पैदा हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम मोराना तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 684 रकबा 2.15 हे0, ख0नं0 685 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.15 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से जगन्नाथी पुत्री जगन्नाथ, मुस0 नाथी बेवा जगन्नाथ, धन्नी पुत्री जगन्नाथ, घीसी पुत्री रामकिशन का नाम हटाये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। उपरोक्त भूमि के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में रामकिशन के वारिसान वादी नं0 1 को 1/8 हिस्से का, वादी नं0 2 को 1/8 हिस्से का, वादी नं0 3–4 को 1/8 हिस्से का व वादी नं0 5 ता 9 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी नं0 8 को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादीगण का प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2071–74 खाता नं0 28
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2065–68 खाता नं0 122
3. छायाप्रति प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल ग्राम मोराना सं0 2043–62
4. प्रतिलिपि जमाबंदी खेवट खतोनी ग्राम मोराना सं0 2027–30

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जानें में प्रतिवादीगण को को कोई आपत्ति नहीं होनें का निवेदन किया। वकील उभयपक्ष को सुना गया, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। साबिक ख0नं0 393 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 394 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि जमाबंदी ग्राम मोराना सं0 2027–30 में रामकिशन

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

पुत्र व धन्नी पुत्री व मु0 नाथी विधवा जगन्नाथ हि0 1/2 तुलस्या आत्मज कंवरया हि0 1/2 से दर्ज थी। बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नवीन ख0नं0 684 रकबा 2.15 हे0, ख0नं0 685 रकवा 1.00 हे0 कायम किये गये, जो मिलान क्षेत्रफल से जाहिर होता है। जमाबंदी सं0 2065–68 में उपरोक्त वर्णित प्रविष्टि के स्थान पर रामकिशन पुत्र जगनाथी मु0 धनी पुत्री जगन्नाथ मु0 नाथी बेवा जगन्नाथ हि0 1/2 हजारीलाल सुखदेव पुत्रान चतरी बाई पुत्री व जगनी बेवा केसरीलाल हि0 1/2 अंकित कर दिया गया, जबकि तुलस्या आत्मज कंवरया हि0 1/2 के सम्बन्ध में पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद नहीं है, किन्तु जगन्नाथ के वारिसान में पूर्व जमाबंदी की प्रविष्टि न कर पूर्व वारिसान के साथ जगनाथी का नाम अंकित कर दिया गया, जबकि जगन्नाथ के जगनाथी नाम की कोई वारिस ही नहीं थी। प्रतिवादीगण द्वारा अपनें जवाब में जगनाथी का नाम डिलीट किये जानें की स्वीकृति प्रकट की है। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 द्वारा अपना हिस्सा भ्राता रामकिशन के पक्ष में तथा प्रतिवादी नं0 4 लगायत 6 द्वारा अपना हक व हिस्सा अपनें भ्राता वादी नं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग करनें की सहमति जाहिर की गई है। जिससे विवादित खातें से जगनाथी व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम खातें से डिलीट किया जाना उचित पाते है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है तथा वाद वादीगण स्वीकार किये जानें योग्य है।

लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि वाके ग्राम मोराना तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 684 रकबा 2.15 हे0, ख0नं0 685 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.15 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से जगन्नाथी पुत्री जगन्नाथ, मुस0 नाथी बेवा जगन्नाथ, धन्नी पुत्री जगन्नाथ, घीसी पुत्री रामकिशन का नाम डिलीट किया जाकर, विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में रामकिशन के वारिसान वादी नं0 1 को 1/8 हिस्से का, वादी नं0 2 को 1/8 हिस्से का, वादी नं0 3–4 को 1/8 हिस्से का व वादी नं0 5 ता 9 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनॉक 06/01/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. लटूर लाल आत्मज रामकिशन
2. अखेराज आत्मज रामकिशन
3. रामेश्वर आत्मज गोविन्द
4. कुंज बिहारी आत्मज गोविन्द
5. बनवारी आत्मज नन्द किशोर
6. बलराम आत्मज नन्द किशोर
7. गोरां पुत्री नन्द किशोर
8. ममता पुत्र नन्द किशोर
9. भूली बेवा नन्द किशोर जाति कुम्हार निवासीगण रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. राम भरोस पुत्री धन्नी
2. गोमती पुत्री धन्नी
3. मुरली पुत्री धन्नी
4. घीसी पुत्री रामकिशन
5. नेमी चन्द पुत्र मन्नी बाई
6. सीमा पुत्री मन्नी बाई
7. कंचन बेवा गोविन्द जाति कुम्हार निवासीगण रामनगर तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–133/19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ''वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि वाके ग्राम मोराना तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 684 रकबा 2.15 हे0, ख0नं0 685 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.15 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से जगन्नाथी पुत्री जगन्नाथ, मुस0 नाथी बेवा जगन्नाथ, धन्नी पुत्री जगन्नाथ, घीसी पुत्री रामकिशन का नाम डिलीट किया जाकर, विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के राजस्व रिकॉर्ड में रामकिशन के वारिसान वादी नं0 1 को 1/8 हिस्से का, वादी नं0 2 को 1/8 हिस्से का, वादी नं0 3–4 को 1/8 हिस्से का व वादी नं0 5 ता 9 को 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, रहन यथावत् रहेगा।'' तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 06/01/2020 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी दावा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर, एवं
दीगोद
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner